राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या / 1062 / 2010 / अजमेर

मैसर्स माया मन्दिर सिनेप्लेक्स,
जयपुर रोड, अजमेर। .....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
अजमेर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री वी.के.पारीक
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा,
उपराजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 07 / 03 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 118 / 2009–10 / मनो / अजमेर में पारित आदेश दिनांक 12.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–अजमेर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.03.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (जिसे आगे **" मनोरंजन अधिनियम"** कहा जायेगा) के तहत् कुल मांग राशि रूपये 7,77,029 / – को यथावत रखा गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने उपायुक्त (प्रशासन) के आदेश दिनांक 29.05.2007 द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2007–08 के लिए छविगृह के लिए प्रशमन योजना के तहत् कर चुकाने हेतु निर्देशित किया गया था। अपीलार्थी ने छविगृह को दो स्क्रीन में परिवर्तन करने हेतु विभाग को सूचना दिनांक 10.01.2008 को पेश की तथा शेष अवधि के लिए प्रशमन राशि जमा नहीं करायी। प्रशमन योजना के बिन्दु संख्या–12 के अनुसार प्रशमन अवधि पूर्ण होने तक योजना के तहत् प्रशमन राशि निरन्तर जमा कराना बाध्यकारी है। मात्र अप्रत्याशित (Unforeseen) घटना की स्थिति में ही प्रशमन राशि जमा कराने में छूट दी जा सकती है न कि स्वेच्छा से बन्द करने पर। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रशमन राशि जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किया गया, परन्तु अपीलार्थी ने अगस्त 2007 से दिसम्बर 2007 तक प्रवेश कर दरों में वृद्धि के कारण कम जमा कराई गई प्रशमन राशि तथा जनवरी 2008 से मार्च 2008 तक प्रतिमाह रूपये 2,31,351 / – जमा नहीं कराने के कारण प्रशमन राशि रूपये 6,17,709 / – तथा इस पर आरोपित ब्याज राशि रूपये 1,48,320 / – कुल सृजित मांग राशि रूपये 7,77,029 / – आरोपित करते हुए कर निर्धारण आदेश पारित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा

लगातार.....2

पारित उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2010 द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा छविगृह दिनांक 11.01.2008 से बन्द कर दिया था, इसका मुख्य कारण था छविगृह में बड़ा फेरबदल व मरम्मत का कार्य, जो कि करना जरूरी हो गया था, यह एक अप्रत्याशित (Unforeseen) घटना होने के कारण छविगृह को बन्द रखा गया था, अतः अपीलार्थी को प्रशमन राशि जमा करवाने में छूट प्रदान की जानी चाहिए थी। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी ने छविगृह को दो स्क्रीन में परिवर्तन करने हेतु विभाग को सूचना दिनांक 10.01.2008 को पेश की, जो कि एक अप्रत्याशित (Unforeseen) घटना ना होकर स्वेच्छा से बन्द करने की स्थिति थी। अतः अपीलार्थी का प्रशमन राशि जमा करवाने का दायित्व बनता है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अध्ययन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपने निजी स्वार्थ यथा छविगृह को दो स्क्रीन में करने के लिए बन्द किया था, जिसकी सूचना उनके द्वारा विभाग को दिनांक 10.01.2008 को दी गई थी, एवं प्रशमन योजना के बिन्दु संख्या 12 के अनुसार प्रशमन अवधि पूर्ण होने तक योजना के तहत् प्रशमन राशि निरन्तर जमा कराना बाध्यकारी है, केवल अप्रत्याशित (Unforeseen) घटना की स्थिति में ही प्रशमन राशि जमा करवाये जाने में छूट प्रदान की जायेगी। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा छविगृह की मरम्मत एवं दो स्क्रीन में बदलने का कार्य अप्रत्याशित घटना नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित प्रशमन राशि एवं ब्याज राशि विधिक रूप से सही है।

7. फलतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होने के कारण वह हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य